राजस्थान सरकार - सुरजी सिंह आदि अ. क्र. 14/21

दिनांक	आज्ञा पत्र	
22.7.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. बाद बहस दिनांक 22.8.24 को पेश हो। [signature]	मू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
22.8.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. बाद बहस दिनांक 15.10.24 को पेश हो। [signature]	मू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
15.10.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. बाद बहस दिनांक 3.12.24 को पेश हो। [signature]	मू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
3.12.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. बाद बहस दिनांक 15.1.25 को पेश हो। [signature]	मू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
15.1.25	पत्रावली पेश। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23.1.25 को पेश हो। [signature] मू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
23.1.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट.....खारिज..... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] मू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 14/2021

1 सज्जन सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम यालसर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

1 पुर्णसिंह पुत्र श्री नारायण सिंह
2 प्रताप सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह
3 भैरू सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह
4 जैतु पत्नी श्री नारायण सिंह
5 नरेश सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह
6 विक्रम सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह
7 किरण कंवर पत्नी श्री गंगा सिंह
रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 07 समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम यालसर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
8 बैंक ऑफ बड़ौदा पालड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज. जरिये प्रबंधक
9 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
10 पटवारी हल्का लालासी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
11 उप पंजीयक, उप–पंजीयक कार्यालय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
12 राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर आदेश दिनांकित 24.02.2021 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट बउनवानी सज्जन सिंह बनाम पूर्ण सिंह आदि प्रार्थना पत्र संख्या 51/2020

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री गणपत लाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री गौरीशंकर, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 23.1.25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 51/2020 में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र धारा 212 बाबत भूमि खसरा नम्बर 364, 365, 366, 367, 368, 369, 503 वाके ग्राम यालसर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा के साथ जमाबन्दी दस्तावेज जो प्रस्तुत किया गया था, वह जमाबन्दी पक्षकारान में स्वीकृत दस्तावेज है, उक्त दस्तावेज के अनुसार ग्राम यालसर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अवस्थित पक्षकार की भूमि संयुक्त खातेदारी की अन्तर्गत दर्ज होना स्पष्ट रूप से दर्शित किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 03 व 06 ता 07 की ओर से जो जवाब आवेदन प्रस्तुत किया गया है उस जवाब के अन्तर्गत एक तथ्य यह भी अंकित किया गया कि पक्षकारान के मध्य बाहमी विभाजन होकर दिनांक 18.11.2012 का लिखित इकरारनामा निष्पादित किया हुआ है, उक्त तथ्य को विचारण न्यायालय के द्वारा कानून रूप से मान्यता देते हुये अपीलान्ट/प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ... सीकर

यह कहकर खारिज कर दिया कि पूर्व में भूमियों का बाहमी विभाजन हो रखा है, महत्वपूर्ण है कि संयुक्त खातेदारी की भूमियों का किसी भी अनुरूप इकरारनामा पर बंटवारा कानूनी रूप से मान्य नहीं है। अपीलान्ट/प्रार्थी के द्वारा सद्भाविक रूप से अपने संयुक्त खातेदारी की भूमियों का विभाजन करने का वाद प्रस्तुत किया था तथा यह वर्णित किया कि पक्षकार का जो 1/6 हक हिस्सा है, उसके संबंध में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर पक्षकारान के हिस्से में आयी भूमि पर अलग खसरा नम्बर कायम कर दिये जावें, जिससे पक्षकार अपने हिस्से की भूमि का समुचित उपयोग–उपभोग करने के लिए स्वतंत्र रहे। किन्तु विचारण न्यायालय के द्वारा पक्षकारों के मध्य विवाद को समाप्त करने की जगह नये विवाद को बढ़ाकर तथा भूमियों को रिकार्ड के विपरित खुला करके अंतहीन मुकदमेंबाजी प्रारम्भ करने की स्थिति को बढ़ावा दिया है जो आदेश किसी भी अनुरूप न्यायिक निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार कर ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी संवत 2076–79 ग्राम यालसर खसरा नम्बर 364, 365, 366, 367, 368, 369, 503 की खातेदारी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के नाम दर्ज है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न लिखावट दिनांक 18.11.2012 के अनुसार पक्षकारों के मध्य विवादित भूमियों का बाहमी विभाजन हो रखा है। ऐसी स्थिति में बाह्मी विभाजन की हुई भूमि के संदर्भ में अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर उनके हक हिस्से की भूमि के उपयोग–उपभोग से वंचित किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी संवत 2076–79 ग्राम यालसर खसरा नम्बर 364, 365, 366, 367, 368, 369,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

503 की खातेदारी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के नाम दर्ज है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न लिखावट दिनांक 18.11.2012 के अनुसार पक्षकारों के मध्य विवादित भूमियों का बाह्मी विभाजन हो रखा है। ऐसी स्थिति में बाह्मी विभाजन की हुई भूमि के संदर्भ में अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर उनके हक हिस्से की भूमि के उपयोग–उपभोग से वंचित किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम भोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर